राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–48 / 2024
दिनेश पासवान बनाम् मनोज कुमार यादव।

अंतरिम–आदेश

इस वाद की सुनवाई दिनांक–26.11.2024, दिनांक–28.01.2025 तथा दिनांक–09.10.2025, को की गई, जिसमें वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विपिन कुमार सिंह उपस्थित रहे तथा प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार एवं श्री सनोज कुमार शर्मा उपस्थित रहे। **जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, बेगूसराय की ओर से श्रीमती पूजा प्रितम, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगूसराय को सत्यापन प्रतिवेदन एवं जिला का पक्ष रखने हेतु प्राधिकृत किया गया।**

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि दिनांक–27.08.2024 को छौड़ाही प्रखण्ड प्रमुख, जिला–बेगूसरा. के प्रमुख एवं उप प्रमुख के निर्वाचन हेतु आयोग द्वारा तिथि निर्धारित की गई थी। प्रमुख पद के दो उम्मीदवार श्री दिनेश पासवान एवं मनोज कुमार यादव के नामांकन सही पाया गया। उक्त दोनों उम्मीदवारों में से प्रमुख का चयन करने हेतु गुप्त मतदान की प्रक्रिया से प्रमुख का चयन किया गया, परन्तु मतदान प्रक्रिया में निर्वाची पदाधिकारी तथा प्रेक्षक के निष्पक्षता को उनके द्वारा प्रश्नगत किया गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि एक मतदाता(प्रखण्ड पंचायत समिति सदस्य) द्वारा मतपत्र में मनोज कुमार यादव के नाम के समक्ष Cross Mark (x) का अंकण नहीं किया गया। साथ ही साथ प्रेक्षक द्वारा अपने हाव–भाव एवं शब्दों से मतदाताओं को श्री मनोज कुमार यादव के पक्ष में प्रभावित किया गया। उनके द्वारा यह भी दावा किया गया कि मनोज कुमार यादव के पक्ष में एक अवैध मत को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अवैध घोषित नहीं किया गया, जिसके कारण उनको प्राप्त मत एवं श्री मनोज कुमार यादव को प्राप्त मत बराबर हो गये, तथा प्रमुख का पद ''**लॉटरी**'' के माध्यम से श्री यादव को आवंटित कर दिया गया।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आरोपों को मन–गढ़न्त एवं तथ्यों से भिन्न बताया। उनके द्वारा आगे बताया गया कि वादी द्वारा संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया गया तथा कभी विरोध दर्ज नहीं किया गया। मत बराबर होने के उपरांत पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से ''**लॉटरी**'' की प्रक्रिया पूरी की गई। उनके मुवक्किल के पक्ष में ''**लॉटरी**'' का निर्णय सौभाग्यवश प्राप्त हुआ।

जिला निर्वाची पदाधिकरी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा पत्रांक–2913, दिनांक–23.11.2024 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसका सारांश निम्नवत् हैः–

''वाद संख्या–48 / 2024, दिनेश पासवान बनाम् मनोज कुमार यादव, में वाद की जाँच अनुमण्डल पदाधिकारी, मंझौल से कराया गया। उनके पत्रांक–1204, दिनांक–09.11.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ''छौड़ाही प्रखण्ड के प्रमुख एवं उप प्रमुख के रिक्त पद पर विधिवत् दिनांक–27.08.2024 को प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति / निगरानी में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से

निर्वाचन सम्पन्न कराया गया, तत्पश्चात् विधिमान्य मतों की गणना के उपरांत प्रखण्ड प्रमुख, छौड़ाही के पद पर श्री मनोज कुमार एवं उप प्रमुख पद पर शशि भूषण प्रसाद यादव निर्वाचित घोषित किये गये।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, मंझौल के जाँच प्रतिवेदन एवं मंतव्य से जिला निर्वाची पदाधिकरी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, बेगूसराय सहमत है।''

मामले की समीक्षा आयोग स्तर पर की गई, तो पाया गया कि वादी का मूल आरोप यह है कि प्रतिवादी को प्राप्त मतों में एक मत का हेर–फेर करते हुए, मतों को बराबर कर दिया गया था, अर्थात् एक अवैध मत जिसकी गिनती नहीं की जानी चाहिए थी, उसको वैध मानते हुए, श्री मनोज कुमार यादव के पक्ष में मानते हुए, परिणाम घोषित किया गया। **अतएव मामले के निष्पक्ष निष्पादन हेतु उक्त मत–पत्रों का अवलोकन दोनों पक्षकारों के समक्ष किया जाना आवश्यक हो जाता है।** उक्त वर्णित स्थिति में आयोग के दिशा–निर्देश पत्र संख्या–विधि–60–36/2007–861, दिनांक– 03 जून, 2009(बिहार गज़ट में प्रकाशन की तिथि–31.08.2010) के कंडिका–19(vii) के आलोक में कार्रवाई का निर्णय लिया गया।

अतः **जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, बेगूसराय** को आदेश दिया जाता है कि छौड़ाही प्रखण्ड पंचायत समिति के प्रमुख के निर्वाचन से संबंधित सभी अभिलेख यथा–**मत–पत्र, कार्यवाही प्रतिवेदन, मूल विडियोग्राफी आदि** के साथ तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रेक्षक की उपस्थिति अगली सुनवाई को सुनिश्चित करायेंगे। यदि निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रेक्षक का तबादला दूसरे जिले में हो गया हो, तो आयोग के आदेश के आलोक में उन्हें सूचित करते हुए, आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही साथ वादी श्री दिनेश पासवान एवं प्रतिवादी श्री मनोज कुमार यादव की उपस्थिति भी अगली सुनवाई में आवश्यक होगी। अतः इस आदेश का तामिला उन्हें करा दिया जाए, ताकि अगली तिथि को उनकी सुनवाई सुनिश्चित हो सकें।

तदनुसार सुनवाई की **अगली तिथि–10.03.2026 को अपराह्न 03:30 बजे** निर्धारित की जाती है। सभी संबंधित को सूचित किया जाए।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
13.02.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–48/2024 613

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
13.02.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।
पटना, दिनांक 13.2.26

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, **बेगूसराय**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **बेगूसराय** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

13/2/26
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–48 / 2024 613 पटना, दिनांक 13.2.26

प्रतिलिपि–श्री दिनेश पासवान, पिता–श्री परमेश्वर पासवान, ग्राम–एकम्बा, वार्ड संख्या–09, थाना–छौड़ाही, **जिला–बेगूसराय** एवं श्री मनोज कुमार यादव, (वर्तमान प्रमुख), पिता–स्व0 सत्य नारायण यादव, ग्राम–बखड्डा, थाना–छौड़ाही, प्रखण्ड–छौड़ाही, **जिला–बेगूसराय** को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि **सुनवाई की तिथि–10.03.2026** को निर्धारित समय पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

13/2/26

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–48 / 2024 613 पटना, दिनांक 13-2-26

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु एवं सूचनार्थ प्रेषित।

13/2/26

विशेष कार्य पदाधिकारी